



राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प.1(1)कार्मिक/क-4/ 2021/III


जयपुर, दिनांक : 07-05-2021

आज्ञा

कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु निम्नांकित राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की सेवाएँ अस्थाई रूप से उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले के जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को अग्रिम आदेशों तक सौंपी जाती है :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद	जिला
1.	श्री जमील अहमद कुरैशी	निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर	झुन्झुनू
2.	श्री राज नारायण शर्मा	रजिस्ट्रार, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर	झुन्झुनू

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर ।
- 2 प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
- 3 विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, समस्त मंत्री / राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
- 4 उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
- 5 सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / सम्भागीय आयुक्त / विशिष्ट शासन सचिव ।
- 6 सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
- 7 समस्त सम्बन्धित कण्ट्रोलिंग अधिकारी ।
- 8 समस्त सम्बन्धित अधिकारी ।
- 9 वित्तिय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर ।
- 10 सिस्टम-एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग ।
- 11 निजी पत्रावली / लेखा पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव

- 1 प्रतिलिपि अन्य सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

  
संयुक्त शासन सचिव